

Disclaimer

“This is an automated (system-generated) translation provided for convenience. If there is any ambiguity or inconsistency between this translation and the English version of the document, the English version will prevail to the extent permitted by applicable law. If you need any clarification, please call our toll-free number [1800 572 3013] and we will assist you.”

अस्वीकरण

“यह सुविधा के लिए दिया गया एक ऑटोमेटेड (सिस्टम से बना) ट्रांसलेशन है। अगर इस ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट के इंग्लिश वर्शन के बीच कोई कन्फ्यूजन या अंतर है, तो लागू कानून के तहत इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर [1800 572 3013] पर कॉल करें और हम आपकी मदद करेंगे।”

Kshema Prakriti

UIN: IRDAN162RPCR0020V01202526

क्षेम प्रकृति

नीति शब्दावली

खंड I: क्रियाशील खंड

चूँकि आप, अनुसूची में नामित बीमित व्यक्ति ने इस क्षेम प्रकृति को चुना है और पॉलिसी में बताए अनुसार बीमा कवर के लिए हमसे, क्षेम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड से आवेदन किया है। आपने क्षेम एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रस्ताव प्रपत्र और/या डिजिटल प्रस्ताव के माध्यम से हमें अपने बारे में जानकारी दी है और आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के सत्य और सही होने की पुष्टि के आधार पर और आपके द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम प्राप्त होने के बाद, हम आपको पॉलिसी अनुसूची में बताए अनुसार बीमा प्रदान करने का वादा करते हैं, जो इस पॉलिसी में निर्धारित नियमों, शर्तों, प्रावधानों और बहिष्करणों या जारी किए जा सकने वाले किसी भी अनुमोदन में निहित है।

प्रस्ताव, पॉलिसी शब्दावली, पॉलिसी अनुसूची, घोषणाएं और उसके किसी भी अनुमोदन को एक दस्तावेज माना जाएगा और कोई भी शब्द या अभिव्यक्ति, जिसका उनमें से किसी में भी कोई विशिष्ट अर्थ दिया गया है, संपूर्ण रूप से उसी अर्थ को धारण करेगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

इस पॉलिसी में, "आप", "आपका", "स्वयं", शब्द पॉलिसी अनुसूची में दर्शाए गए नामित बीमित व्यक्ति को संदर्भित करते हैं। "हम", "हमें", "हमारा", और "कंपनी", शब्द क्षेम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को संदर्भित करते हैं।

अब यह नीति इस बात की गवाही देती है कि यह नीति यहां उल्लिखित या समर्थित या व्यक्त विभिन्न धाराओं, नियमों, शर्तों और प्रक्रिया के तहत उल्लिखित सामग्री के अधीन है।

खंड II: शब्दों की परिभाषा

- पशु हमला: इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर किए गए विशिष्ट पशुओं द्वारा खेत में प्रवेश करने और फसल को खाने या नुकसान पहुंचाने के कारण बीमित फसल को होने वाली हानि या क्षति।
- जोखिम प्रारंभ / पॉलिसी प्रारंभ तिथि: जोखिम प्रारंभ / पॉलिसी प्रारंभ तिथि इस पॉलिसी के अंतर्गत कवरेज प्रारंभ करने की तिथि है तथा पॉलिसी अनुसूची में कवर की अवधि के अनुसार उल्लिखित है।
- फसल: इसका अर्थ है इस पॉलिसी के अंतर्गत पॉलीगॉन के निर्धारित क्षेत्र में उसी प्रकार का पौधा उगाया जाता है, जैसा कि पॉलिसी अनुसूची में निर्दिष्ट है, बीज, प्रत्यारोपण या अन्य प्रसार विधियों का उपयोग करके, तथा वाणिज्यिक या व्यक्तिगत उपयोग के लिए काटा जाता है।
- डिजिटल प्रस्ताव फॉर्म (डीपीएफ): यह एक ऐसा फॉर्म है जिसे आप क्षेम एप्लीकेशन में अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके या ओटीपी पुष्टिकरण के माध्यम से हमारे आवेदन में भरेंगे।
- फसल अवधि: बहुभुज में बुवाई की तारीख से कटाई शुरू होने की तारीख तक की अवधि।
- समर्थन: समर्थन का अर्थ है आपकी पॉलिसी में कोई लिखित संशोधन या परिवर्धन, जिसका आप लिखित रूप में या क्षेम एप्लीकेशन के माध्यम से अनुरोध करते हैं।
- दावा अतिरिक्त: पॉलिसी अनुसूची में उल्लिखित राशि जो इस पॉलिसी के तहत किए गए प्रत्येक दावे के संबंध में आपके द्वारा वहन की जाएगी।
- कटाई: इसका अर्थ है बीमित खेत में बीमित फसल से उपज को काटने/एकत्र करने के लिए किया गया कोई भी कार्य।

- i) जलप्रेमी फसलें: जलप्रेमी फसलें ऐसी कृषि फसलें हैं जिनमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है या जिन्हें आमतौर पर स्थिर या अत्यधिक सिंचित जल स्थितियों में उगाया जाता है। इनमें धान, गन्ना, जूट और अन्य समान फसलें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जिन्हें इष्टतम विकास के लिए उच्च मिट्टी की नमी या निरंतर जल उपलब्धता की आवश्यकता होती है।
- j) क्षतिपूर्ति प्रतिशत: यह वास्तविक हानि या बीमित राशि का प्रतिशत है, जो भी कम हो, जो किसी भी बीमा दावे की स्थिति में भुगतान किया जाएगा और जिसका उल्लेख पॉलिसी अनुसूची में किया गया है।
- k) बीमित व्यक्ति से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो फसल उगाता है और जिसका नाम पॉलिसी अनुसूची में है तथा जिसका बीमायोग्य हित हमेशा बना रहता है।
- l) क्षेमा एप्लीकेशन: क्षेमा एप्लीकेशन एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो बीमा उत्पादों की खरीद, दावे प्रस्तुत करने, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और पॉलिसी से संबंधित जानकारी और सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा प्रदान किया गया आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- m) अक्षांश और देशांतर: अक्षांश और देशांतर एक निर्देशांक प्रणाली है जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान को परिभाषित करने के लिए दो संख्याओं का उपयोग करती है।
- n) भौतिक परिवर्तन: वे परिवर्तन जो जोखिम को हामीदारी करने के लिए बीमाकर्ता के निर्णय को भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं, जिनमें बुवाई की तारीखों में परिवर्तन या बीमित फसल या बीमा योग्य हित में परिवर्तन शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- o) बीमा अवधि: वह समयावधि जिसके लिए बीमा अनुबंध वैध है, जैसा कि पॉलिसी अनुसूची में दर्शाया गया है, जब तक कि पॉलिसी रद्द न कर दी जाए, ऐसी स्थिति में बीमा अवधि ऐसे रद्दीकरण की प्रभावी तिथि पर समाप्त हो जाएगी।
- p) पॉलिसी: पॉलिसी का अर्थ है पॉलिसी के शब्द, प्रस्ताव प्रपत्र में विवरण/कथन, पॉलिसी अनुसूची और उससे जुड़े या उसका हिस्सा बनने वाले कोई भी लागू अनुमोदन या विस्तार।
- q) पॉलिसी समाप्ति तिथि: बहु-चुनाव वाली फसलों के मामले में पॉलिसी अंतिम कटाई प्रारंभ होने की तिथि को तथा एकल कटाई वाली फसलों के मामले में कटाई प्रारंभ होने की तिथि को अथवा पॉलिसी अनुसूची में उल्लिखित समाप्ति तिथि को, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगी।
- r) पॉलिसी अनुसूची: वह दस्तावेज जिसमें बीमा अनुबंध से संबंधित सभी विवरण शामिल होते हैं और जो पॉलिसी के शब्दों, अनुमोदनों और अन्य संलग्न अनुलग्नकों का हिस्सा होता है।
- s) बहुभुज: हमारे क्षेमा आवेदन में दर्शाई गई कृषि भूमि की सीमाएं, जो या तो आपके द्वारा खींची गई हैं या आपके द्वारा प्रस्तुत फोटो के निर्देशांकों के माध्यम से पहचानी गई हैं या भूकर डेटा का उपयोग करके सर्वेक्षण संख्याओं के माध्यम से पहचानी गई हैं और इस पॉलिसी को खरीदने के लिए प्रस्ताव फॉर्म जमा करते समय आपके द्वारा सत्यापित की गई हैं।
- t) कटाई के बाद की हानियाँ: बीमित फसल या उत्पाद को जमीन या फसल से अलग करने के बाद होने वाली हानि या क्षति।
- u) प्रीमियम: पॉलिसी अनुसूची में निर्दिष्ट बीमा कवरेज के लिए भुगतान की जाने वाली राशि।
- v) प्रस्ताव प्रपत्र: इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जिसमें आपके बारे में, खेत, फसल के बारे में तथा जोखिम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी गई हो तथा जो विधिवत दिनांकित/ई-दिनांकित हो तथा वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) से मान्य हो।
- w) हस्ताक्षर: ओटीपी पुष्टिकरण के माध्यम से प्रस्ताव फॉर्म पर आपका हस्ताक्षर।
- x) बीमित राशि: पॉलिसी अनुसूची में दर्शाई गई राशि वह अधिकतम राशि है जो हम बीमा अवधि के दौरान किसी एक दावे या सभी दावों के लिए भुगतान करेंगे। पशु हमले के कवरेज के लिए, भुगतान कुल बीमित राशि के 25% तक सीमित है और इसे समग्र पॉलिसी बीमित राशि में शामिल किया जाता है।

Kshema Prakriti

UIN: IRDAN162RPCR0020V01202526

y) प्रतीक्षा अवधि: प्रतीक्षा अवधि इस पॉलिसी के तहत बताई गई समयावधि है जिसके दौरान कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

खंड III: कवरेज

इस पॉलिसी के अंतर्गत कवरेज मुख्य खेत में उगाई जा रही फसल के लिए है, जिसे क्षेम आवेदन में दर्शाए गए बहुभुज के माध्यम से पहचाना जाता है या प्रस्ताव के समय प्रस्तुत निर्देशांक (खेत के सभी कोनों के अक्षांश और देशांतर) के माध्यम से पहचाना जाता है।

नीचे सूचीबद्ध खतरों के कारण बीमित फसल को होने वाली हानि या क्षति:

- a) नामित चक्रवात
- b) भूकंप सहित सुनामी।
- c) बिजली गिरने से आग
- d) बाढ़
- e) जलप्लावन (यह कवरेज हाइड्रोफिलिक फसलों पर लागू नहीं होगा)
- f) भूस्खलन
- g) आंधी
- h) केवल पशु हमले द्वारा
 1. हाथी
 2. जंगली सूअर

धारा IV: इस पॉलिसी के तहत निम्नलिखित नुकसानों का भुगतान नहीं किया जाएगा

कंपनी निम्नलिखित के कारण होने वाली हानि और क्षति को कवर नहीं करेगी।

- a) युद्ध जोखिम: युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्य, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित हो या न हो), गृहयुद्ध, विद्रोह, क्रांति, बगावत, सैन्य या हड़पी हुई शक्ति, जब्ती, राष्ट्रीयकरण, नागरिक उपद्रव, लूट, उससे संबंधित लूटपाट के कारण होने वाली हानि।
- b) परमाणु जोखिम: किसी भी परमाणु ईंधन से आयनकारी विकिरण या रेडियोधर्मिता द्वारा संदूषण या परमाणु ईंधन के दहन से किसी भी परमाणु अपशिष्ट या किसी भी परमाणु संयोजन या परमाणु घटक के रेडियोधर्मी, विषाक्त, विस्फोटक या खतरनाक गुणों से उत्पन्न बीमित फसल को कोई नुकसान।
- c) परिणामी हानि: किसी भी प्रकार या विवरण की परिणामी हानि।
- d) दुर्भावनापूर्ण क्षति, आगजनी और अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम।
- e) आतंकवाद: आतंकवादी गतिविधियों के कारण फसल को होने वाली कोई हानि।
- f) किसी भी प्रकार का प्रदूषण या संदूषण।
- g) किसी भी सरकार या किसी अन्य नागरिक प्राधिकरण के आदेश के कारण होने वाला राजनीतिक जोखिम या हानि या क्षति;
- h) ज्वालामुखी विस्फोट, तटीय या नदी कटाव या प्रकृति के अन्य आघात।
- i) चोरी, दंगा और हड़ताल।
- j) फसल की कटाई के बाद होने वाली हानि, भले ही वह कटी हुई अवस्था में हो तथा बीमित खेत में फैली हुई हो।
- k) धारा 3 के अंतर्गत उल्लिखित पशु के अलावा किसी अन्य पशु द्वारा पहुंचाई गई क्षति/हानि कवरेज के अंतर्गत आती है।
- l) जलस्रोतों की फसलों को जलप्लावन से बचाना।
- m) किसी अन्य जोखिम से, जो पॉलिसी अनुसूची में स्पष्ट रूप से कवर नहीं किया गया है।
- n) समर्थन संरचनाओं जैसे स्टेकिंग, ट्रेलिस आदि की लागत।

Kshema Prakriti

UIN: IRDAN162RPCR0020V01202526

- o) अंतरफसलीय एवं मिश्रित फसलीय खेती।
- p) बीमित खेत और क्षतिग्रस्त खेत के बहुभुज / अक्षांश और देशांतर के बीच बेमेल।
- q) अतिरिक्त दावा करें।
- r) किसी भी हानि के संबंध में या उसके संबंध में आपके द्वारा किया गया कोई भी व्यय, चाहे वह किसी भी कारण से हुआ हो, भले ही ऐसी हानि के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन/उपज में कमी आई हो या परिचालन लागत में वृद्धि हुई हो, देय नहीं होगा।
- s) खेत से किसी भी क्षतिग्रस्त फसल, मलबे या किसी भी पदार्थ को हटाने के लिए आपके द्वारा किया गया कोई भी व्यय, चाहे वह क्षति कवर किए गए खतरों के कारण हुई हो या अन्यथा, देय नहीं होगा।
- t) फसलों की हानि या क्षति जहां हानि या क्षति का स्थान प्रस्ताव के समय पहचाने गए बहुभुज के साथ प्रतिच्छेद नहीं करता है
- u) उपज की हानि.
- v) नर्सरी में उगाई जा रही फसलें।
- w) प्रतीक्षा अवधि के दौरान हुई हानि
- x) कोई भी धोखाधड़ी या अतिशयोक्तिपूर्ण दावा।

खंड v: बीमा दावा कैसे दर्ज करें और आपकी ज़िम्मेदारी

इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर किए गए किसी भी संकट/संकट की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, जिसके परिणामस्वरूप फसल को नुकसान या क्षति हुई हो, आपको निम्नलिखित कार्रवाई करने की आवश्यकता है:

- a) क्षेमा एप्लीकेशन के माध्यम से या customer.support@kshema.co पर ईमेल द्वारा या टोल-फ्री नंबर 18005723013 पर या हमारी वेबसाइट <https://kshema.co/> के माध्यम से नुकसान की सूचना तुरंत दें, साथ ही जोखिम घटित होने के 24 घंटे के भीतर अपनी पॉलिसी का विवरण भी दें।
- b) नुकसान को न्यूनतम करने के लिए सभी कदम उठाएं, जैसे कि कोई बीमा ही न कराया गया हो।
- c) क्षेमा एप्लीकेशन का उपयोग करके क्षतिग्रस्त फसल की जियो-टैग्ड तस्वीरें, दिनांक और समय के साथ लें।
- d) क्षेमा एप्लीकेशन का उपयोग करके सम्पूर्ण बीमित क्षेत्र और क्षेत्र के प्रभावित हिस्से की वीडियो क्लिप लें।
- e) क्षति/नुकसान का पूरा विवरण दें, जिसमें नुकसान के समय, तिथि और स्थान के अनुसार अनुमानित प्रभावित क्षेत्र शामिल हो।
- f) हानि के समय उसी बीमित फसल को कवर करने वाली किसी अन्य बीमा पॉलिसी का विवरण बताएं।
- g) क्षेमा द्वारा क्षति सत्यापन/मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने तक क्षतिग्रस्त फसल की सुरक्षा करें तथा साथ ही फसल हानि को कम करने के लिए कदम उठाएं।
- h) फसल के कारण, हानि और क्षति को स्थापित करने के लिए सभी सहायक दस्तावेज/सूचनाएं प्रदान करें तथा कंपनी द्वारा अपेक्षित अन्य जानकारी भी प्रदान करें।
- i) किसी भी बीमा दावे के मामले में, दिनांकित फोटो और वीडियो क्लिप नुकसान की तारीख से शुरू होकर सात दिनों की अवधि के लिए हर दूसरे दिन प्रस्तुत किए जाएंगे।
- j) हानि की तिथि पर बीमा योग्य हित का प्रमाण स्थापित करने वाला दस्तावेज़।

खंड vi: नियम और शर्तें:

- a) निर्विवादता और प्रकटीकरण का कर्तव्य: यह पॉलिसी शून्य और अमान्य हो जाएगी और इसके तहत कोई भी लाभ प्रस्ताव फॉर्म और/या व्यक्तिगत विवरण और/या प्रस्ताव फॉर्म (डीपीएफ) और/या संबंधित दस्तावेजों के

- माध्यम से की गई घोषणा में किसी भी भौतिक परिवर्तन या विशेषता के किसी भी असत्य या गलत बयान, गलत बयानी, गलत विवरण या गैर-प्रकटीकरण की स्थिति में देय नहीं होगा।
- फसल बेमेल: यदि बीमा के समय आपके द्वारा बीमा के लिए घोषित फसल और बीमित खेत की वास्तविक फसल में अंतर है, तो पॉलिसी प्रारंभ से ही शून्य हो जाती है और कोई हानि/क्षति देय नहीं होगी। भुगतान किया गया प्रीमियम पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा और पॉलिसी शून्य और अमान्य हो जाएगी।
 - फसल प्रथाओं का पैकेज: बीमित व्यक्ति को फसल से संबंधित सभी प्रथाओं का पालन करना होगा और समय पर सभी गतिविधियां करनी होंगी जैसे सिंचाई, निराई, पौध संरक्षण आदि, प्रथाओं के निर्धारित पैकेज को करने में किसी भी प्रकार की विफलता होने पर संबंधित इनपुट लागत को दावा राशि से काट लिया जाएगा।
 - अतिरिक्त राशि: आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत किए गए प्रत्येक दावे के लिए 500 रुपये या दावे की निर्धारित राशि का 5%, जो भी अधिक हो, वह वहन करना होगा।
 - नामित जोखिम पॉलिसी: यह पॉलिसी केवल उन्हीं जोखिमों के लिए कवरेज प्रदान करती है जो पॉलिसी अनुसूची में विशेष रूप से सूचीबद्ध या स्पष्ट रूप से कवर किए गए हैं। इस पॉलिसी में नामित या निर्दिष्ट नहीं किए गए जोखिमों से होने वाली कोई भी हानि या क्षति कवर नहीं की जाती है। इस पॉलिसी में दी गई बहिष्करण सूची केवल उदाहरण के लिए है और उन जोखिमों को कवरेज प्रदान नहीं करती है जिन्हें स्पष्ट रूप से कवर नहीं किया गया है।
 - अंशदान खंड: यदि एक ही कृषि भूमि पर एक ही फसल एक से अधिक बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत बीमित है और यदि नुकसान उक्त कृषि भूमि पर होता है तथा नुकसान को कई बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत कवर किया गया है, तो हम अन्य बीमा पॉलिसियों द्वारा प्रदान की गई कवरेज के आधार पर दावा राशि का केवल एक अनुपातिक अनुपात ही भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
 - बुवाई की तिथि: यदि बुवाई की तिथि कोटेशन तिथि से 15 दिन से अधिक पहले की पाई जाती है, तो पॉलिसी को शून्य और अमान्य माना जाएगा तथा कोई दावा देय नहीं होगा।
 - फसल परिवर्तन: बीमा प्रस्ताव के समय घोषित फसल में से एक बार फसल परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि परिवर्तन की सूचना बुवाई के 5 दिनों के भीतर दी जाए।
 - बुवाई की तिथि में परिवर्तन: बुवाई की तिथि में एक बार परिवर्तन की अनुमति है, जो प्रीमियम भुगतान की तिथि से पहले नहीं हो सकता, बशर्ते कि बुवाई के 5 दिनों के भीतर लिखित रूप में सूचित किया जाए।
 - 7 दिन का खंड: हानि घटित होने की घटना के प्रारंभ से लगातार 7 दिनों की अवधि के दौरान एक ही प्रभावित बहुभुज में नामित खेतों से उत्पन्न बीमित फसल को होने वाली किसी भी हानि या क्षति को एकल घटना माना जाएगा और इसलिए एक दावा अधिशेष और एक दावे के अधीन होगा।
 - अनिवार्य दस्तावेज: बीमा दावे के समय, फसल हानि/क्षति की अनिवार्य तस्वीरें, अक्षांश और देशांतर निर्देशांकों के साथ, घटना की तिथि से लेकर हानि/क्षति के पूर्णतः समाप्त होने तक, 2 दिनों के अंतराल पर प्रस्तुत की जाएंगी।
 - उचित देखभाल: आपको बीमाकृत फसल के हितों की सुरक्षा के लिए सभी उचित कदम उठाने होंगे, ताकि नुकसान या क्षति के कारण दावा उत्पन्न न हो।
 - नियमों और शर्तों का पालन: इस नीति के नियमों, शर्तों और समर्थन का उचित पालन और पूर्ति, जहां तक वे आपके द्वारा किए जाने वाले या अनुपालन किए जाने वाले किसी भी कार्य से संबंधित हैं, इस नीति के तहत किसी भी हानि क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए हमारी ओर से किसी भी देयता के लिए एक पूर्व शर्त होगी।
 - इस नीति के नियमों और शर्तों का पालन न करने पर यह नीति रद्द हो जाएगी।
 - कोई भी विशेष प्रावधान जिसके अधीन यह नीति लागू की गई है और नीति में इसका समर्थन किया गया है, इस नीति का हिस्सा माना जाएगा और तदनुसार प्रभावी होगा।
 - प्रतीक्षा अवधि:

- a. इस पॉलिसी में प्रतीक्षा अवधि आपके द्वारा प्रस्ताव में घोषित फसल अवधि के 15% दिनों में से जो भी कम हो, या आरंभ की तिथि से या परिवर्तित बुवाई तिथि/फसल से पहले 21 दिनों की अवधि होगी।
- b. यदि प्रतीक्षा अवधि के दौरान हानि या क्षति होती है तो क्षतिग्रस्त क्षेत्र की बीमा राशि शेष पॉलिसी अवधि के लिए क्षतिग्रस्त कुल क्षेत्र से समाप्त मानी जाएगी।
- c) फसल प्रबंधन खंड: अनुचित फसल प्रबंधन प्रथाओं जैसे समय पर और पर्याप्त निराई, सिंचाई, कीट या रोग या पोषण की कमी या अत्यधिक खनिज / पोषक तत्व नियंत्रण या अन्य आवश्यक कृषि संबंधी प्रथाओं का संचालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप फसल को नुकसान या क्षति या अनुचित विकास होता है, तो दावा राशि कुल पात्र दावे के अधिकतम 25% तक कम हो सकती है, जो लापरवाही की गंभीरता और प्रभाव पर निर्भर करती है।

नो क्लेम डिस्काउंट (एनसीडी):

1. यदि आपकी पिछली पॉलिसी पर कोई दावा नहीं किया गया है तो कंपनी प्रीमियम के 2.5% के स्लेब में छूट देगी।
2. बीमित व्यक्ति नो क्लेम डिस्काउंट के लिए पात्र होगा, भले ही वह पहले बीमित किए गए फार्म पॉलीगॉन के लिए एक सीज़न के लिए बीमा न खरीदे। हालाँकि, यदि फार्म पॉलीगॉन का लगातार दो सीज़न के लिए बीमा नहीं कराया जाता है, तो अर्जित एनसीडी नष्ट हो जाएगा।
3. एनसीडी प्रति पॉलिसी लागू होगी।
4. यदि किसान बीमित क्षेत्र को बढ़ाता है तो एनसीडी पिछले फसल मौसम में बीमित क्षेत्र की सीमा पर लागू होगी जिसमें किसान ने छूट अर्जित की थी।
5. यह छूट केवल तभी लागू होगी जब बीमित खेत का बहुभुज उसी किसान द्वारा बीमाकृत किया जा रहा हो।
6. अधिकतम छूट शुद्ध प्रीमियम के 15% से अधिक नहीं होगी।
7. यदि पॉलिसी पर दावा सूचित किया जाता है, तो अर्जित एनसीडी शून्य हो जाती है।

r) वफादारी बोनस:

- a) कंपनी बार-बार आने वाले ग्राहकों को लॉयल्टी बोनस के रूप में प्रीमियम में छूट देती है, बशर्ते कि किसान ने पिछले सीजन में उतनी ही या उससे अधिक भूमि का बीमा कराया हो।
- b) वर्तमान बीमा में शुद्ध प्रीमियम का 5% छूट दी जाएगी।
- c) यदि किसान अगले फसल मौसम में अपने खेत का बीमा नहीं कराता है तो भी वह छूट के लिए पात्र होगा, लेकिन लगातार दो फसल मौसमों से अधिक के लिए नहीं।
- d) यदि किसान अपने खेत की बीमाकृत सीमा कम कर देता है तो छूट आनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी।

धारा VII: हानि या क्षति होने पर कंपनी के अधिकार

हानि या क्षति होने पर, या ऐसी परिस्थिति होने पर जिसने इस पॉलिसी के अंतर्गत दावे को जन्म दिया हो, हम:

- a) कंपनी के विवेक पर हम क्षतिग्रस्त बीमाकृत फसल में प्रवेश कर सकते हैं और/या उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं।
- b) कंपनी स्वयं ही दावे की राशि से क्षतिग्रस्त फसल का उचित मूल्य काट सकती है और क्षतिग्रस्त फसल का कब्जा छोड़ सकती है।

- c) इस शर्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हम किसी भी समय कर सकेंगे, जब तक कि आपके द्वारा लिखित में यह नोटिस न दिया जाए कि आप इस नीति के अंतर्गत कोई दावा नहीं करते हैं, या यदि कोई दावा किया जाता है, जब तक कि ऐसे दावे का अंतिम रूप से निर्धारण या वापसी न हो जाए।
- d) यदि आप या आपकी ओर से कोई भी व्यक्ति पॉलिसी के नियमों और शर्तों का पालन नहीं करता है या इसके अंतर्गत कोई निरीक्षण करते समय हमें या हमारे प्रतिनिधियों को बाधा पहुंचाता है, तो पॉलिसी के तहत सभी लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।

खंड VIII: हानि आकलन और गणना

- a) दावे का पता लगाने और नुकसान का आकलन केवल रिमोट सेंसिंग उपग्रह छवि / चित्रों और / या वीडियो क्लिप के माध्यम से किया जाएगा, जो कि आंतरिक रूप से विकसित एल्गोरिदम का उपयोग करके क्षेम एप्लीकेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा; और
- b) कवरेज के अंतर्गत उल्लिखित खतरों को तभी मान्यता दी जाएगी जब संबंधित सरकारी/मौसम विज्ञान/भूवैज्ञानिक/आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा घोषित या पुष्टि की जाएगी, या बीमाकर्ता की संतुष्टि के लिए प्रमाणित किया जाएगा; या
- c) कोई अन्य विश्वसनीय स्थानीय रिकॉर्ड या साक्ष्य।
- d) हानि क्षतिपूर्ति की गणना नीचे दिए गए सूत्र के आधार पर की जाएगी।

हानि = (बीमित राशि x फसल की अवस्था के आधार पर संबंधित क्षतिपूर्ति प्रतिशत x प्रभावित बीमित क्षेत्र की सीमा x हानि प्रतिशत x क्षतिपूर्ति प्रतिशत) - दावा अधिशेष

फसल की अवस्था के आधार पर मुआवजा प्रतिशत:
क्षतिपूर्ति प्रतिशत, फसल की कुल अवधि में हानि की घटना के समय फसल की अवस्था का प्रतिशत होगा।

नोट: यदि नुकसान के समय फसल की अवस्था प्रतीक्षा अवधि के अंतर्गत आती है, तो कोई बीमा दावा देय नहीं होगा।

पशु हमला धारा:

जंगली सूअर या हाथी द्वारा हमला/चराई से होने वाले नुकसान या क्षति का कवरेज, पॉलिसी की बीमित राशि के अधिकतम 25% तक, जो समग्र पॉलिसी बीमित राशि का हिस्सा है। क्षेम एप्लीकेशन से ली गई हानि/क्षति की तस्वीरों के साथ तत्काल सूचना (24 घंटे के भीतर)।

घटना और नुकसान की पुष्टि स्थानीय मीडिया रिपोर्टों/कवरेज या कृषि/वन/राजस्व विभाग की रिपोर्टों से होनी चाहिए। हम पंचायती राज/ग्राम सभा आदि की रिपोर्टों सहित नुकसान की अन्य रिपोर्टों पर भी विचार कर सकते हैं।

मुआवजा ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

धारा IX: दावे के बाद पॉलिसी की स्थिति:

हानि होने पर, हानि के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्र की सीमा तक आनुपातिक बीमित राशि, पॉलिसी अवधि की समाप्ति या कुल हानि के भुगतान, जो भी पहले हो, तक बीमित कृषि क्षेत्र की कुल बीमित राशि से कम हो जाती है।

खंड X: घोषणा

Kshema Prakriti

UIN: IRDAN162RPCR0020V01202526

- a) यदि आप बीमा के लिए प्रस्ताव फॉर्म में कोई गलत घोषणा/जानकारी देते हैं, जो जोखिम को स्वीकार करने और इस पॉलिसी के तहत कवर की पेशकश करने के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस पॉलिसी के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के लिए कंपनी की कोई देयता नहीं होगी।
- b) कंपनी यह भी समझती है कि आपने कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध पॉलिसी के नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और प्रस्ताव फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर करने या डीपीएफ पर पुष्टि देने से पहले सामग्री के निहितार्थ को समझ लिया है।
- c) आप आगे यह भी वचन देते हैं कि आपके द्वारा हस्ताक्षरित या सुनाई गई घोषणा की जिम्मेदारी पॉलिसी में शामिल अन्य सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगी, यदि कोई हो, और इस प्रकार आप पॉलिसी के किसी भी नियम व शर्त का पालन न करने या उसे चुनौती देने के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि के लिए कंपनी को संयुक्त रूप से या अलग-अलग क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं।

धारा XI: धोखाधड़ी

यदि आप या आपकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर धोखाधड़ी करता है या जानबूझकर गलत प्रस्तुत करता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाता है - चाहे प्रस्ताव के दौरान, पॉलिसी के प्रभावी रहने के दौरान, या किसी दावे के संबंध में - तो हमारे पास अपने पूर्ण विवेक पर यह अधिकार है:

- a. यदि पॉलिसी जारी करने से पहले धोखाधड़ी या भौतिक गलतबयानी का पता चलता है तो बीमा प्रस्ताव को अस्वीकार करना।
- b. यदि पॉलिसी जारी होने के बाद लेकिन किसी दावे के घटित होने से पहले धोखाधड़ी या भौतिक गलतबयानी का पता चलता है, तो पॉलिसी को शुरू से ही रद्द कर दिया जाएगा और भुगतान किए गए सभी प्रीमियम को जब्त कर लिया जाएगा, और इस पॉलिसी के तहत हमारी कोई देयता नहीं होगी।
- c. यदि दावा प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद धोखाधड़ी या भौतिक गलतबयानी का पता चलता है, तो हम किसी भी दावे को अस्वीकार कर सकते हैं, सभी लाभों को जब्त कर सकते हैं, और सभी प्रीमियम को पूरी तरह से अर्जित मान सकते हैं। हम, अपने विवेकानुसार, इस पॉलिसी के तहत आपसे किए गए किसी भी भुगतान की वसूली कर सकते हैं, चाहे वह लेखा के रूप में हो या पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में, जिसमें भविष्य के किसी भी लाभ के विरुद्ध प्रतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति की सीधी मांग शामिल है।

इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "धोखाधड़ी" में अन्य बातों के अलावा, आपके या आपके प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित कार्य शामिल हैं, जिनका उद्देश्य बीमाकर्ता को पॉलिसी जारी करने या दावा भुगतान करने के लिए धोखा देना या प्रेरित करना है:

1. किसी भी ऐसे तथ्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करना जो झूठा हो।
2. किसी महत्वपूर्ण तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना या दबाना।
3. गुमराह करने या धोखा देने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य या चूक।
4. कोई भी कार्य या चूक जिसे लागू कानून द्वारा धोखाधड़ी घोषित किया गया हो।
5. इस खंड के अंतर्गत सभी उपचार कानून के अंतर्गत उपलब्ध उपचारों के अतिरिक्त हैं

खंड XII: रद्दीकरण:

- a) आपके द्वारा किसी भी समय रद्दीकरण

आप हमें लिखित सूचना देकर या क्षेमा एप्लिकेशन के माध्यम से किसी भी समय इस पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं। आपकी सूचना के समय से पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

- b) हमारे द्वारा रद्दीकरण

हम पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी को रद्द नहीं करेंगे, सिवाय धोखाधड़ी के आधार पर 7 व्यावसायिक दिनों की पूर्व सूचना के।

उपर्युक्त दोनों मामलों में, पॉलिसी के अंतर्गत कोई दावा न किए जाने की शर्त पर, शेष अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा।

धारा XIII: पॉलिसी विवाद

आपके और हमारे बीच यह सहमति हुई है कि यहाँ निहित नियमों, शर्तों, सीमाओं और/या बहिष्करणों की व्याख्या से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय या व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार ही की जाएगी और केवल भारत के सक्षम न्यायालयों को ही इसके अंतर्गत उत्पन्न होने वाले सभी या किसी भी मामले पर विचार करने का अनन्य अधिकार होगा। मामले का निर्धारण या निर्णय उस न्यायालय के कानून और व्यवहार के अनुसार किया जाएगा। आप इस बात पर भी सहमत हैं कि जहाँ कोई दावा किया जाता है, भुगतान किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है और ऐसे भुगतान या अस्वीकृति की तिथि से बारह (12) कैलेंडर महीनों के भीतर कोई अदालती कार्रवाई या वाद दायर/आह्वान नहीं किया जाता है, वहाँ इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।

1. संपूर्ण अनुबंध

यह पॉलिसी एक पूर्ण बीमा अनुबंध है। इस पॉलिसी में कोई भी परिवर्तन या बदलाव तब तक मान्य या प्रभावी नहीं होगा जब तक कि कंपनी द्वारा लिखित रूप में इसकी स्वीकृति न दी जाए, और यह स्वीकृति पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित होगी। किसी भी एजेंट को इस पॉलिसी के किसी भी नियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने या इसके किसी भी प्रावधान को माफ करने का अधिकार नहीं है। कंपनी इस पॉलिसी के तहत किए गए किसी भी दावे के लिए तब तक कोई भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी जब तक कि वह बीमित संपत्ति के अस्तित्व, दावे की राशि और उसके लिए कंपनी की देयता के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाए।

2. विच्छेदनीयता

यदि इस नीति का कोई खंड, प्रावधान या भाग उचित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा अमान्य या निरर्थक ठहराया जाता है, तो इस नीति का शेष भाग पूर्ण शक्ति और प्रभाव में बना रहेगा।

3. यदि आप नोटिस देना चाहते हैं

इस पॉलिसी के अंतर्गत दिया गया कोई भी नोटिस, निर्देश या अनुदेश लिखित रूप में होगा तथा बीमित व्यक्ति के मामले में दस्ती, डाक, ई-मेल (यदि कोई हो) द्वारा अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट पते और ई-मेल पर दिया जाएगा।

कंपनी के मामले में: KSHEMA जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: 413, चौथी मंजिल, माई होम टाइकून, कुंदन बाग बेगमपेट, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत- 500016. ई-मेल customer.support@kshema.co.

नोटिस और निर्देश पोस्ट करने के 7 दिन बाद या हाथ से या ई-मेल से प्राप्त होने पर तुरंत प्रदान किए गए माने जाएंगे।

6. यदि किसी भी समय आपको किसी स्पष्टीकरण या सहायता की आवश्यकता हो

आप सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान पॉलिसी में निर्दिष्ट पते पर हमारे कार्यालय/कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।

धारा XIV: शिकायत निवारण खंड:

यदि आपको पॉलिसी से संबंधित किसी मामले, या किसी मामले पर हमारे निर्णय, या दावे के बारे में कोई प्रश्न या शिकायत है, तो आप अपनी शिकायत इस प्रकार संबोधित कर सकते हैं:

1. किसी भी प्रश्न के समाधान के लिए, आप पॉलिसी जारी करने वाले कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, हमें क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: # 413, चौथी मंजिल, माय होम टाइकून, कुंदन बाग, बेगमपेट, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत- 500016 पर लिखकर या हमें customer.support@kshema.co पर ईमेल करके या क्षेमा एप्लिकेशन के माध्यम से या हमें 1800 572 3013 (टोल-फ्री) पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।
2. यदि आप प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हमारी ई-मेल grievance.cell@kshema.co या gro@kshema.co पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं या हमें 1800 570 2998 (टोल-फ्री) पर कॉल कर सकते हैं या हमें शिकायत निवारण कार्यालय, क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: # 413, चौथी मंजिल, माय होम टाइकून, कुंदन बाग, बेगमपेट, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत- 500016 पर लिख सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.kshema.co पर उप अनुभाग "शिकायत निवारण" पर लिख सकते हैं।
3. यदि आप हमारे द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप <https://www.cioins.co.in> पर शिकायत निवारण के लिए बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप <https://bimabharosa.irdai.gov.in> पर बीमा भरोसा पोर्टल के माध्यम से भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) से या IRDAI शिकायत कॉल सेंटर (IGCC) के टोल-फ्री नंबर 1800 4254 732 / 155255 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

लोकपाल का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम संख्या	स्थान	लोकपाल का नाम	पदनाम	बीमा लोकपाल कार्यालय,	क्षेत्राधिकार	टेलीफोन नंबर	ईमेल
1.	अहमदाबाद	श्री के. विनायक राव	बीमा लोकपाल	जीवन प्रकाश बिल्डिंग, छठी मंजिल, तिलक मार्ग, रिलीफ रोड, अहमदाबाद – 380 001।	Gujarat, Dadra & Nagar Haveli, Daman and Diu.	079 - 25501201 /02	oio.ahmedabad@cioins.co.in
2.	बेंगलुरु	Ms Neerja Kapur	बीमा लोकपाल	जीवन सौधा बिल्डिंग, पीआईडी नंबर 57-27-एन-19 ग्राउंड फ्लोर, 19/19, 24वां मेन रोड, जेपी नगर, प्रथम चरण, बेंगलुरु – 560 078।	कर्नाटक	080 - 26652048 / 26652049	oio.bengaluru@cioins.co.in

3.	भोपाल	श्री अजय कुमार	बीमा लोकपाल	1st floor,"Jeevan Shikha", 60-B,Hoshangabad Road, Opp. Gayatri Mandir,Arera Hills Bhopal – 462 011.	Madhya Pradesh, Chhattisgarh.	0755 - 2769201 / 2769202 / 2769203	oio.bhopal@cioins.co.in
4.	भुवनेश्वर	श्री अजय कुमार	बीमा लोकपाल	62, फ़ॉरेस्ट पार्क, भुवनेश्वर – 751 009.	ओडिशा	0674 - 2596461 /2596455/ 2596429/ 2596003	oio.bhubaneswar@cioins.co.in
5.	चंडीगढ़	सुश्री अलका झा	बीमा लोकपाल	जीवन दीप बिल्डिंग एससीओ 20-27, ग्राउंड फ्लोर सेक्टर- 17 ए, चंडीगढ़ – 160 017.	पंजाब, हरियाणा (गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ को छोड़कर), हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़।	0172- 2706468	oio.chandigarh@cioins.co.in
6.	चेन्नई	श्री के.विनायक राव	बीमा लोकपाल	फातिमा अख्तर कोर्ट, चौथी मंजिल, 453, अन्ना सलाई, तेनाम्पेट, चेन्नई - 600 018।	तमिलनाडु, पुदुचेरी टाउन और कराईकल (जो पुदुचेरी का हिस्सा हैं)।	044 - 24333668 / 24333678	oio.chennai@cioins.co.in
7.	दिल्ली	सुश्री सुनीता शर्मा	बीमा लोकपाल	2/2 ए, यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली – 110 002.	दिल्ली और हरियाणा के निम्नलिखित जिले - गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़।	011 - 46013992 /2321350 4/232324 81	oio.delhi@cioins.co.in

8.	गुवाहाटी	श्री अजय कुमार शर्मा	बीमा लोकपाल	जीवन निवेश, 5वीं मंजिल, पानबाजार ओवर ब्रिज के पास, एसएस रोड, गुवाहाटी – 781001 (असम).	असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा।	0361 - 2632204 / 2602205 / 2631307	oio.gu wahati @cioin s.co.in
9.	हैदराबाद	सुश्री जी शोभा रेड्डी	बीमा लोकपाल	6-2-46, पहली मंजिल, "मोइन कोर्ट", लेन, सलीम फंक्शन पैलेस के सामने, एसी गार्ड्स, लकड़ी का पूल, हैदराबाद - 500 004.	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यनम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का कुछ हिस्सा.	040 - 23312122 / 23376991 / 23376599 / 23328709 / 23325325	oio.hyd erabad @cioin s.co.in
10.	जयपुर	Shri Satyajeet Rajan	बीमा लोकपाल	जीवन निधि - II बिल्डिंग, ग्रेड I तल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर - 302 005।	राजस्थान	0141 – 2740363	oio.jaip ur@cioi ns.co.in
11.	कोच्चि	श्री प्रदीप कुमार जैन	बीमा लोकपाल	10वीं मंजिल, जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, महाराजा कॉलेज ग्राउंड के सामने, एमजी रोड, कोच्चि - 682 011.	केरल, लक्षद्वीप, माहे - केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का एक हिस्सा।	0484 – 2358759	oio.ern akulam @cioin s.co.in
12.	कोलका ता	श्री अजय कुमार	बीमा लोकपाल	हिंदुस्तान बिल्डिंग एनेक्सी, चौथी मंजिल, 4, सीआर एवेन्यू, कोलकाता - 700 072.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।	033 - 22124339 / 22124341	oio.kol kata@c ioins.co .in
13.					Districts of Uttar Pradesh: Lalitpur,		

	लखनऊ[[NEWLIN E_PLACE HOLDER]]	श्री अजय कुमार शर्मा	बीमा लोकपाल	6वीं मंजिल, जीवन भवन, फेज-II, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ - 226 001.	Jhansi, Mahoba, Hamirpur, Banda, Chitrakoot, Allahabad, Mirzapur, Sonbhabdr a, Fatehpur, Pratapgarh, Jaunpur,Var anasi, Gazipur, Jalaun, Kanpur, Lucknow, Unnao, Sitapur, Lakhimpur, Bahraich, Barabanki, Raebareli, Sravasti, Gonda, Faizabad, Amethi, Kaushambi, Balrampur, Basti, Ambedkarn agar, Sultanpur, Maharajgan g, Santkabirna gar, Azamgarh, Kushinagar, Gorkhpur, Deoria, Mau, Ghazipur, Chandauli, Ballia, Sidharathna gar.	0522 - 4002082 / 3500613	oio.luck now@ cioins.c o.in
--	---	-------------------------	----------------	--	--	--------------------------------	--------------------------------------

15.	नोएडा	भगवान सहाय पैलेस, चौथी मंजिल, मेन रोड,	Uttarakhan d and the following Districts of Uttar Pradesh: Agra, Aligarh,	oio.noi da@cio ins.co.i n
-----	-------	---	--	------------------------------------

[illegible]

				पेठ, पुणे – 411 030.	जिला, पालघर जिला, रायगढ़ जिला और मुंबई महानगर क्षेत्र के क्षेत्रों को छोड़कर)		
18.	थाने	श्री उमेश सिन्हा	बीमा लोकपाल	द्वितीय तल, जीवन चिंतामणि बिल्डिंग, वसंतराव नाईक महामार्ग, ठाणे (पश्चिम)- 400604	नवी मुंबई, ठाणे जिला, रायगढ़ जिला, पालघर जिला और मुंबई के वार्ड, एम/पूर्व, एम/पश्चिम, एन, एस और टी।"	022- 20812868 /69	oio.tha ne@cio ins.co.i n

*नोट: चूंकि उपरोक्त लोकपाल संपर्क विवरण समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए हम आपको अद्यतन सूची के लिए <https://www.cioins.co.in> देखने का सुझाव देते हैं।

हमारे बारे में जानकारी

Kshema General Insurance Ltd.

पता: #413, चौथी मंजिल, माई होम टाइकून, कुंदन बाग, बेगमपेट, हैदराबाद – 500 016, तेलंगाना, भारत T: +91 040 2340 9918 | E: info@kshema.co | www.kshema.co.